

11.03.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण आधिवक्ता के
उपस्थित। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस
तामिल प्राप्त, बैंक रिपोर्ट मूल वाउचर,
59/23 में संलग्न। अप्रार्थीगण को रुक
रुक कर तीन बार आवाज दिलवाई
गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके
विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जाती है। प्रार्थीगण आधिवक्ता
ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित
तथ्यों व आरेखिका डी. 04/11/24
के तथ्यों को दोहराने हुए अपनी



सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर) /

बहस में निवेदन किया कि मौजा
 आंवाव, पटवार हल्का कीलवा के नवीन
 खाता नं. 10 के खासरा नं. 216, 218,
 219, 220, 221, 222 रकबा कुमश: 0.80,
 0.01, 0.89, 0.01, 0.04, 0.01, 0.67 हेक्टेयर
 कुल रकबा 2.43 हेक्टेयर व खाता संख्या
 105 के खासरा नं. 195, 196, 197, 198, 199,
 200, 201, 202/593, 202/594 रकबा कुमश:
 1.30, 0.01, 0.17, 0.25, 0.01, 0.01, 0.99, 0.01,
 0.01 कुल रकबा 2.77 हेक्टेयर में
 अप्राचीण के विरुद्ध पूर्व में जारी
 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद
 के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा
 अप्राचीण के विरुद्ध जारी करमाने का
 निवेदन किया।

हमने प्राचीण की बहस व
 पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का
 भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया।
 तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का
 संतुलन प्राचीण के पक्ष में होने
 से प्राचीण का प्राचीनता पर स्वीकार योग्य
 होने से स्वीकार किया जाता है।

(प्राचीण)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.T.O.



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इन्शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
-------------	------------------------------------	--

— आदेश —

धन : अप्राचीण के विरुद्ध
 मूल चाद के निस्तारण तक
 इस आशय की आरक्षण विधेयता
 जारी की जाती है। कि गौजा
 अगार के खसरा नं. 216, 218,
 219/596, 220, 221, 222, 195,
 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/593,
 202/594 रकबा क्रमशः 0.80,
 0.01, 0.89, 0.01, 0.04, 0.01,
 0.67, 1.30, 0.01, 0.17, 0.25, 0.01,
 0.01, 0.99, 0.01, 0.01 में राजस्व
 रेकॉर्ड की गवास्थिति बनाए रखने
 पत्रावली फैंसल शुमार होकर
 नंबर से कम व दाखिल दफतर
 हो। (PH)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)